डिस्कलेमर

आदेश संख्या 04/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तनआर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 04/2024-25

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 14 अगस्त, 2024

सेवा	**:**	**इंटो प्लेन सेवाएं (आईटीपी)**
सेवा प्रदाता	**:**	**मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**:**	**छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई**

विषय: मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए सीएसएमआईए, मुम्बई में इंटो प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचलित (30.10.2024 को) टैरिफ तृतीय नियंत्रण अवधि की शेष अवधि अर्थात 31.10.2024 से 31.03.2026 तक बढ़ाने के मामले में

सेवा प्रदाता की प्रस्तुति:

1. इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और मैसर्स स्काईटैंकिंग होल्डिंग जीएमबीएच. जर्मनी (एसटी) का एक संयुक्त उद्यम है, जिनकी समान भागीदारी है। स्वतंत्र सेवा प्रदाता छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसएमआईए), मुम्बई में इंटो प्लेन सेवाएं प्रदान कर रहा है।

2. आईओएसपीएल ने दिनांक 27.05.2024 के पत्र संख्या ऐरा/2024-25/02 द्वारा बताया है कि मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एमएएफएफएफएल) और आईओएसपीएल के बीच मुंबई हवाईअड्डे पर इंटो-प्लेन (आईटीपी) सेवाओं की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक उप-रियायत करार 31.10.2014 को किया गया था, जो 10 वर्ष की अवधि अर्थात 30.10.2024 तक के लिए वैध है।

एमएएफएफएफएल ने आईओएसपीएल के साथ आपूर्ति करार के माध्यम से मूल करार की वैधता पांच (05) वर्ष की अवधि अर्थात 29.10.2024 से 28.10.2029 तक बढ़ा दी है।

तदनुसार, आईओएसपीएल ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वे अपनी प्रचलित टैरिफ (29.10.2024 को) उसमें औसत वार्षिक वृद्धि के साथ तृतीय नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए बढ़ा दें।

प्राधिकरण द्वारा आईओएसपीएल की प्रस्तुति की जांच:

3. प्राधिकरण नोट करता है कि आईओएसपीएल, एमएएफएफएफएल के साथ किए गए उप-रियायत करार के प्रावधान के अनुसार सीएसएमआईए, मुंबई में 31.10.2014 से 30.10.2024 तक दस वर्ष की अवधि के लिए आईटीपी सेवाएं प्रदान कर रहा है। करार के खंड 18.1.2 के अनुसार एमएएफएफएफएल को अपने विवेकानुसार इसे पांच वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाने का अधिकार होगा।

4. प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के संबंध में यह ध्यान में रखते हुए कि आईओएसपीएल का एमएएफएफएफएल के साथ रियायती करार 30.10.2024 को समाप्त हो रहा है और केवल 01.04.2021 से 30.10.2024 तक की अवधि के लिए एआरआर के परिकलन को मानकर आईएसपी के लिए (दिनांक 13.08.2021 के आदेश संख्या 06/2021-22 के अनुसार) टैरिफ निर्धारित की गई थी।

5. आईएसपी ने अपने दिनांक 27.05.2024 के पत्र के माध्यम से प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह ऐरा द्वारा अनुमोदित टैरिफ (29.10.2024 को प्रचलित) को औसत वार्षिक वृद्धि के साथ 31.03.2026 तक (अर्थात तृतीय नियंत्रण अवधि के अंत तक) बढ़ाए।

6. प्राधिकरण आईएसपी की प्रस्तुति से नोट करता है कि मैसर्स एमएएफएफएफएल ने आईओएसपीएल के साथ अपने उप रियायत करार के अनुसार उन्हीं शर्तों एवं निबंधनों से पूरक करार के माध्यम से मौजूदा करार की वैधता को पांच वर्ष की अवधि अर्थात 29.10.2024 से 28.10.2029 तक बढ़ा दिया है।

7. यहां यह उल्लेखीय है कि सीएसएमआईए, मुम्बई में इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाले एक अन्य आईटीपी सेवा प्रदाता अर्थात भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल) का उप-रियायत करार भी 29.10.2024 तक वैध है।

   हालाँकि, बीएसएसपीएल के मामले में ऐरा ने दिनांक 03.09.2021 के आदेश संख्या 14/2021-22 के माध्यम से टैरिफ मौजूदा करार की वैधता की अंतिम तारीख (29.10.2024) से आगे तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ चक्र के पूरा होने तक अर्थात 31.03.2026 तक सशर्त अनुमोदित कर दी है।

   दिनांक 03.09.2021 के उपरोक्त टैरिफ आदेश में ऐरा ने निर्धारित किया है कि "यदि बीएसएसपीएल का एमएएफएफएफएल के साथ उप-रियायती करार 29 अक्तूबर, 2024 से आगे नवीनीकृत किया जाता है तो तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 29 अक्तूबर, 2024 को प्रचलित टैरिफ दरें इस बढ़ी हुई अवधि तक या 31 मार्च, 2026 तक, जो भी पहले हो, जारी रहेंगी।"

8. प्राधिकरण ने मैसर्स आईओएसपीएल, मुंबई के लिए अनुमोदित टैरिफ (30.10.2024 को प्रचलित) को तृतीय नियंत्रण अवधि की शेष अवधि (अर्थात 31.10.2024 से 31.03.2026) के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आदेश

प्राधिकरण इसके समक्ष रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स आईओएसपीएल को सीएसएमआईए, मुम्बई में **संलग्नक** में दिए गए टैरिफ दर कार्ड के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि की शेष अवधि अर्थात **31.10.2024 से 31.03.2026 तक** इंटो प्लेन सेवाओं के लिए टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) संलग्नक के अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iii) मैसर्स आईओएसपीएल ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (परिशिष्ट I एआई 9) के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में अपनी इंटो प्लेन सेवाओं के लिए अलग से वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(iv) प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय 31.10.2024 से 31.03.2026 तक की विस्तारित अवधि सहित, तृतीय नियंत्रण अवधि से संबंधित सभी बिल्डिंग ब्लॉकों को ट्रू-अप करेगा, क्योंकि अंतिम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ प्राईस कैप अप्रोच के अंतर्गत निर्धारित की गई थी।

(v) मैसर्स आईओएसपीएल को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के आरंभ होने से छह माह पूर्व तृतीय नियंत्रण अवधि से संबंधित वास्तविक आंकड़ों के साथ नया एमवाईटीपी प्रस्तुत करना होगा।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक मैसर्स आईओएसपीएल के लिए अनुमोदित टैरिफ दरें सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(vii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री टी. एस. दुपारे,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ),
इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड
कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
देवनहल्ली, बैंगलुरू -560300

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2) श्री प्रकाश तुलसैनी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, सीएसएमआई हवाईअड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल-1, सांताक्रूज़ (पूर्व) मुम्बई-400099